

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/ आश्विन 5, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 619
No. 190]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ ASVINA 5, 1940	[N.C.T.D. No. 619

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

सं. फा. 14(7)/एल.ए.-2015/पी.एफ.-III/एस.बी.(2018)/2017.—दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी वि विद्यालय अधिनियम 2017 (दिल्ली अधिनियम-06, 2018) की धारा 03 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी वि विद्यालय नामक वि विद्यालय की स्थापना की तिथि 26 सितंबर 2018 निश्चित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

देविन्दर सिंह, सचिव (टी.टी.ई.)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 26th September, 2018

No. F. 14(7)/LA-2015/PF-III/SB(2018)/2017.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 of The Delhi Netaji Subhas University of Technology Act, 2017 (DELHI ACT 06 of 2018), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 26th September 2018 as the date on which the University by the name of Netaji Subhas University of Technology, shall be established.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor

of National Capital Territory of Delhi,

DEVINDER SINGH, Secy. (TTE)